

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)
संख्या - 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222/2019...2897

प्रेषक,

जय सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बेगूसराय / सुपौल / शेखपुरा / बांका / खगड़िया /
लखीसराय / जहानाबाद / अरवल / शिवहर /
किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ /
सीतामढ़ी / सहरसा / मधेपुरा / प0 चम्पारण /
जमुइ / मुंगेर / नालंदा।

पटना, दिनांक :-01-10-2021

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम एवं नियमावली अंतर्गत खानापूरी पर्चा के वितरण उपरान्त दावा/आपत्तियों और प्रारूप प्रकाशन के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों एवं उन पर पारित आदेशों के आलोक में किए गए संशोधनों की जाँच (विश्रान्ति) कार्य हेतु समेकित निदेश के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक से आप अवगत है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 यथा संशोधित, 2017 एवं नियमावली, 2012 यथा संशोधित, 2019 के नियम 9 अंतर्गत खानापूरी कार्य किया जाता है। खानापूरी पर्चा एवं LPM वितरण पश्चात् नियम 10 अंतर्गत प्राप्त दावों/आपत्तियों का निपटारा किया जाता है। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी अपने संबंधित राजस्व ग्राम के भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र-10 में पारित आदेश की प्रति उक्त नियत तिथि को ही Upload करेंगे। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा रैयती/सरकारी दावों के संबंध में पारित आदेशों का सुधार विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खेसरा पंजी (प्रपत्र-6), हार्ड प्रति में किया जाएगा, साथ ही भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में भी विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा अपने Login ID, Password से संशोधित किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खानापूरी मानचित्र में भी पारित आदेश के अनुसार संशोधन किया जाएगा। इसके बाद हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा संशोधन के अनुसार मानचित्र तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 यथा संशोधित, 2019 के नियम 11 अंतर्गत खानापूरी कार्य पूर्ण होने के बाद मानचित्र सहित खानापूरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की तैयारी नियमावली के नियम 11 उप नियम 1(क) के अंतर्गत विश्रान्ति के प्रथम चरण में किया जाता है। विश्रान्ति का कार्य प्रथम चरण में आलेख तथा रकबा प्रशाखा द्वारा शिविर स्तर पर किया जाएगा।

प्रथम चरण की विश्रांति का कार्य:-

अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र के शिविरस्तरीय प्रारूप प्रकाशन के पूर्व विश्रांति का कार्य किया जाएगा। इस कार्य को बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में प्रत्येक शिविर द्वारा प्रत्येक ग्रामवार किया जाएगा। उक्त कार्य के लिए शिविर स्तर पर एक आलेख एवं रकबा प्रशाखा का गठन शिविर प्रभारी-सह-विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के नेतृत्व में किया जाएगा। इस कार्य के लिए उसी शिविर में प्रतिनियुक्त विशेष सर्वेक्षण अमीनों को विश्रांति कार्य के लिए ग्राम आवंटित किया जाएगा। विश्रांति कार्य के लिए गठित की जाने वाली आलेख तथा रकबा प्रशाखा में ग्रामों में खेसरों की संख्या को ध्यान में रखकर निम्न प्रकार ग्रामवार कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा एवं इस संबंध बंदोबस्त पदाधिकारी आदेश निर्गत करेंगे।

- (i) शिविर प्रभारी-सह-विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी
- (ii) कानूनगो-1
- (iii) अमीन-अधिकतम-3
- (iv) लिपिक अथवा डाटा इंटी ऑपरेटर-1

विश्रांति कार्य को संपन्न करने के क्रम में प्रारूप प्रकाशन के पूर्व आलेख एवं रकबा प्रशाखा द्वारा भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के GIS Co-Ordinator एवं हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से समन्वय स्थापित कर त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा।

विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 9 एवं 10 अंतर्गत खानापुरी कार्य एवं खानापुरी के दौरान दावों/आक्षेपों का निपटारा पूर्ण होने के बाद प्रपत्र-5 (खतियानी विवरणी), प्रपत्र-3(i) वंशावली, प्रपत्र-3(ii) (याददाश्त पंजी), प्रपत्र-6 (खेसरा पंजी) सुनवाई की सभी आलेख एवं मानचित्र विश्रांति प्रशाखा के प्रभारी को विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा हस्तगत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त आलेख एवं रकबा तथा खेसरा प्रशाखा के प्रभारी को सॉफ्टवेयर Access भी दिया जाएगा। संबंधित राजस्व ग्राम का ग्राम अभिलेख भी आलेख एवं रकबा तथा खेसरा प्रशाखा को हस्तगत कराया जाएगा।

(I) मानचित्र से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य:-

- (1) राजस्व ग्राम का ग्राम-सीमा मोटी रेखा से होनी चाहिए। यदि ग्राम सीमा नदी या सड़क/आहर/पईन आदि है तब उसका Conventional Sign का प्रयोग होना चाहिए।
- (2) यदि किसी ग्राम का मानचित्र एक से अधिक चादर (Sheet) से बना है तो सभी चादर के आपस में मिलान की स्थिति अर्थात् एक ही ग्राम के विभिन्न शीटों के सीमा के मध्य विसंगति की स्थिति तो नहीं है। कोई भी खेसरा दो शीटों में खंडित नहीं होना चाहिए।
- (3) तैयार किए गए मानचित्र में राजस्व ग्राम का नाम, राजस्व थाना संख्या, अधिसूचित जिला का नाम एवं अंचल का नाम शुद्ध-शुद्ध अंकित किया गया है कि नहीं।
- (4) मानचित्र में खेसरा संख्या क्रमवार दिया गया है या नहीं
- (5) कोई खेसरा बिना खेसरा संख्या का न हो।
- (6) कोई खेसरा संख्या दोबारा अंकित न हो।
- (7) राजस्व ग्राम के चौहद्दी में अवस्थित राजस्व ग्राम का नाम एवं थाना संख्या, उस राजस्व ग्राम के मानचित्र से मिलान कर संतुष्ट हो लेना है।
- (8) बस्ती अथवा आवासीय क्षेत्रों का मानचित्र अलग शीट पर तैयार किया जाएगा, जिसका स्केल 1:1000 रहेगा। साथ ही कृषि क्षेत्र का मानचित्र 1:4000 स्केल पर रहेगा।

- (9) तीन सीमाना से तोखा लाईन (Tokha lines) एक जरीब (66 फीट) हटकर पाँच जरीब (5X 66 = 330 फीट) पर रहेगा।
- (10) मानचित्र में अंकित Conventional Sign का मिलान खेसरा पंजी (प्रपत्र 6) के कॉलम संख्या 10 से करना है।
- (11) राजस्व ग्राम का नाम एवं थाना संख्या हिन्दी के साथ अंग्रेजी में मानचित्र पर दर्ज होना चाहिए। (Unique Code)
- (12) प्रत्येक ग्राम में न्यूनतम एक या दो जी०सी०पी० मानचित्र पर अंकित होना चाहिए।
- (13) खेसरा का बटा नम्बर नहीं दिया जाएगा। यदि किसी खेसरा में नम्बर अंकित करना छूटा हो तो, मौजा के अन्तिम नम्बर के बाद का नम्बर दिया जाएगा।
- (14) दो खेसरा के बीच 'f' निशान नहीं होना चाहिए।
- (15) नक्शा पर N का चिह्न बना रहेगा।



- (II) **ग्राम के सीमा विवाद का निपटारा:-** राजस्व ग्राम के विशिष्ट सीमा निर्धारण (Unique Boundary) की जाँच हेतु यह सुनिश्चित करना है कि किसी ग्राम की सीमा एक यूनिक रेखा द्वारा प्रदर्शित की गई है या नहीं। यदि दो ग्रामों के बीच सीमा रेखा के निर्धारण में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ग्रामों के अमीन खानापूरी दल से मिलकर सीमा-विवाद का समाधान करेंगे। विशिष्ट प्रकार के सीमा विवाद अन्तर अंचल सीमा विवाद, अन्तर जिला सीमा विवाद या अन्तरराज्यीय सीमा विवादों का निपटारा अनिवार्य रूप से बंदोबस्त पदाधिकारी के संज्ञान में लाकर किया जाएगा।
- (III) खेसरा पंजी प्रपत्र 6 (नियम का उप नियम (1)) में रैयतों के नाम एवं उनके स्वामित्व वाले खेसराओं की प्रविष्टि की जाँच किया जाना, विशेषकर रैयतों के धारित खेसरा के रकबा का कागजातों के आधार पर जाँच किया जाना।
- (IV) **प्रपत्र 8 में प्राप्त आपत्तियों/दावों का किए गए निपटारा के तरमीम की जाँच:-** ग्राम में प्रपत्र 8 में आपत्ति/दावा पर कानूनगो द्वारा रैयती भूमि/स०ब०पदा० द्वारा सरकारी भूमि पर दिये गये आदेश के अनुरूप सुधार किया गया है कि नहीं। साथ ही LPM के विरुद्ध दी गई आपत्ति के विरुद्ध दिए गए निर्णय के अनुसार मानचित्र में भी सुधार किया गया है कि नहीं। इसकी जाँच किया जाना आवश्यक है। जाँच में त्रुटि पाये जाने पर आलेख एवं रकबा प्रशाखा में प्रतिनियुक्त विशेष सर्वेक्षण कानूनगो द्वारा त्रुटि प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित अमीन को प्रशाखा में बुलाकर सॉफ्टवेयर एवं हार्ड कापी में संशोधन कराएंगे एवं सत्यापित भी करेंगे। साथ ही खानापूरी मानचित्र में पारित आदेश के अनुसार त्रुटि पाये जाने पर विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खानापूरी मानचित्र में संशोधन किया जाएगा एवं प्रशाखा के कानूनगो द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

- (V) निर्मित प्रपत्र 6 (खेसरा पंजी) खेसरावार एवं मानचित्र के निर्मित खेसरा का रकबा तुलना (मुकाबला)—मानचित्र में प्रदर्शित खेसरा का रकबा और प्रपत्र 6 में तैयार खेसरा पंजी में अंकित रकबा का मिलान किया जाएगा और असमानता की स्थिति में जाँच की जाएगी।

ग्राम के पुराने रकबा से नया रकबा ± 5 प्रतिशत तक अंतर अनुमान्य है। उक्त सीमा के अन्दर विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का रकबा मान्य होगा। ग्राम सीमा विवाद की स्थिति में बंदोबस्त पदाधिकारी के संज्ञान के पश्चात् ही उनसे प्राप्त निदेश के आलोक में कार्रवाई करेंगे।

प्रथम चरण में विश्रान्ति के दौरान किये जाने वाला कार्य को अधिकतम 15 कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा।

विश्रान्ति के पश्चात शिविर प्रभारी अपने हस्ताक्षर से खानापूरी अधिकार अभिलेख प्रपत्र-12 में एवं मानचित्र विधिवत् प्रारूप प्रकाशन करेंगे।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम की धारा 8 एवं नियमावली के नियम 12 अंतर्गत खानापूरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन किया जाता है और अधिकार अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरुद्ध प्राप्त रैयती या सरकारी दावा/आपत्ति का नियम 13 अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा निपटारा किया जाता है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संबंधित राजस्व ग्राम के संबंध में भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र-15 में पारित आदेश की प्रति उक्त तिथि को Upload किया जाना है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा रैयती या सरकारी दावों के संबंध में पारित आदेशों का सुधार विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा खेसरा पंजी (प्रपत्र-6) हार्ड प्रति में किया जाएगा। साथ ही भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र-6 में भी विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा अपने Login ID, Password से संशोधित किया जाएगा। साथ ही विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा प्रारूप प्रकाशित मानचित्र में भी पारित आदेश के अनुसार संशोधन किया जाएगा। इसके बाद हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा संशोधन के अनुसार मानचित्र तैयार किया जाएगा।

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम 14 के उप नियम (1), (2), (3), (4) एवं (5) अंतर्गत विश्रान्ति के द्वितीय चरण में अंतिम प्रकाशन के पूर्व का कार्य खेसरा प्रशाखा द्वारा किया जाता है।

इस प्रशाखा का गठन बन्दोबस्त पदाधिकारी के आदेश पर जिला स्तर पर किया जाएगा। इस प्रशाखा का प्रभारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी होंगे। सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन निम्न पदाधिकारी/ कर्मी कार्य करेंगे:-

- (1) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/वि० सर्वे० स०ब०प०-01
- (2) विशेष सर्वेक्षण कानूनगो-01
- (3) अमीन-03
- (4) लिपिक-01

अवश्यकतानुसार कर्मी/पदाधिकारी की संख्या में परिवर्तन बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

द्वितीय चरण की विश्रान्ति का कार्य:-

- (1) प्रपत्र 14 में प्राप्त आपत्तियों/दावों का किए गए निपटारा के आलोक में किए गए संशोधन की जाँच:- खानापूरी अधिकार-अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरुद्ध दावों/आक्षेपों के संबंध में पारित आदेशों के अनुरूप मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख में संशोधन किया गया है या नहीं।
- (2) मानचित्र की मुद्रित तथा सॉफ्ट कापी में खेसरो से सम्बन्धित भौतिक विवरणी या चिह्नों (अलामत) जैसे-कुँआ, नलकूप, बिजली खम्भा आदि संधारण किया गया है कि नहीं। इस बात की Randomly जाँच किया जाए। यहाँ यह स्पष्ट हो लेना आवश्यक है कि वर्तमान में अनेक चिह्नों या भौतिक विवरणी की प्रविष्टि केवल सॉफ्ट कॉपी में संधारित होगी जबकि महत्वपूर्ण अलामत/भौतिक विवरणी को मानचित्र में उनके लिए बनाए गए चिह्न के अनुसार मुद्रण होगा।
- (3) प्रपत्र 6 में फसल कॉलम 12 से 17 एवं कॉलम 19 से 23 का जाँच किया जायेगा इसी के आधार पर सर्वेक्षण बन्दोबस्त के अगले प्रक्रम में लगान दर तालिका के आधार पर लगान बंदोबस्ती दर तालिका (प्रपत्र 18 क) में तैयार की जाएगी। लगान निर्धारण एवं तालिका तैयार करने हेतु अलग से निदेश निर्गत किया जाएगा।
- (4) अधिकार-अभिलेख को उसके अंतिम प्रकाशन के पूर्व, रैयतों के नाम के हिन्दी वर्णाक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा।
- (5) समुचित जाँच-पड़ताल एवं तुलना के बाद खेसरा प्रशाखा के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर प्रपत्र-18 में नए तेरीज अर्थात् नये अधिकार अभिलेख एवं प्रपत्र-19 में खेसरा पंजी को अन्तिम रूप दिया जाएगा।
- (6) नए तेरीज अर्थात् नये अधिकार-अभिलेख एवं खेसरा पंजी के आधार पर अंतिम प्रकाशन हेतु प्रपत्र-20 में चार प्रतियाँ में अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाएगा। नियमावली के नियम 15 अंतर्गत प्रपत्र-20 में अंतिम रूप से तैयार किए गए अधिकार-अभिलेख एवं मानचित्र की प्रतियाँ संबंधित जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएंगी।

द्वितीय चरण में विश्रान्ति के दौरान किये जाने वाला कार्य को अधिकतम 15 कार्य दिवस के भीतर किया जाएगा।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019..... 2897 पटना, दिनांक 01-10-2021
 प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधि
 (मुख्यालय), बेगूसराय / सुपौल / शेखपुरा / बांका / खगड़िया / लखीसराय / जहानाबाद / अरवल / शिवहर
 / किशनगंज / अररिया / कटिहार / पूर्णियाँ / सीतामढ़ी / सहरसा / मधेपुरा / प०चम्पारण / जमुई / मुंगेर /
 नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019..... 2897 पटना, दिनांक 01-10-2021
 प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना/उप निदेशक, बिहार
 सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019..... 2897 पटना, दिनांक 01-10-2021
 प्रतिलिपि:- श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबन्दी निदेशालय/श्री राकेश कुमार, सहायक
 निदेशक, भू-अर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019..... 2897 पटना, दिनांक 01-10-2021
 प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, भू-अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग
 शाखा/निदेशालय स्तर के सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई०टी०सेल, भू-अभिलेख एवं
 परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019..... 2897 पटना, दिनांक 01-10-2021
 प्रतिलिपि:- एल०आई०एस० सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं
 आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019..... 2897 पटना, दिनांक : 01-10-2021
 प्रतिलिपि :- जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ
 हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019..... 2897 पटना, दिनांक : 01-10-2021
 प्रतिलिपि:- श्री प्रिंस कुमार/श्री कुणाल कुमार, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019..... 2897 पटना, दिनांक : 01-10-2021
 प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई०टी०सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
 को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019.....2897.....पटना, दिनांक : 01-10-2021
प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ
प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 17-तक0को0(विश्रान्ति)-222 / 2019.....2897.....पटना, दिनांक : 01-10-2021
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को
सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण